प्रेषक,

<u>संख्या- 3591148/2025-रा.पा.31/67</u> कृ.<u>षि.अ./2025</u>

विनोद कुमार सिंह, संयुक्त संचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

महानिदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद,

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग लखनऊ : दिनांक :

01-09-2025 आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक् विश्वविद्यालय, अयोध्या के कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-ई-6172/जी.एस. दिनांक 27 अगस्त, 2025 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के कुलपति क पद पर नियुक्ति संबंधी विज्ञापन संख्या-ई-6067/2025 दिनांक 26 अगस्त 2025 को विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित किये जाने की अपेक्षा की गयी है । इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपालू उ.प्र. के उक्त पत्र दिनांक 27 अगस्त 2025 द्वारा अपेक्षित कार्यवाही कर् कृत कार्यवाही से अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ.प्र. एवं शासन को अवगत कराने संलग्नक-यथोक्त ।

> भवदीय, Digitally signed by VINOD KUMAR SINGH (विमोन्धक्मभीर०भिंद्दे०२) सियुर्से सिचिव ।

<u>संख्या- 3591148/2025-रा.पा.31/67 कृ.बि.अ./2025 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. कुलपति, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या/ कानपुर/ मेरठ/ बॉदा एवं निदेशक ,कृषि उत्तर प्रदेश को अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-ई-6172/जी.एस. दिनांक 27 अगस्त 2025 की छायाप्रति इस आशय से प्रेषित हैं कि संदर्भगत विज्ञप्ति विश्वविद्यालय / निदेशालय की वेबसाइट पर प्रकाशित कर शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश को उनके पत्रांक-ई-6172/जी.एस. दिनांक 27 अगस्त, 2025 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।
गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार सिंह) संयुक्त सचिव ।



राज्यपाल सचिवालय, उ०प्र० लखनऊ-226027

संख्याः ई- 6172/ जी०एस० दिनांकः अगस्त ५१, 2025

400 (176)/98

प्रेषक.

श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।

प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

२८१-थे १४ महोदय,

करें।

अपर मिजा सायव प्रमुख सिव्यक्तपुरा आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०) के कुलपति कृषि, कृषि शिक्षा एवं अर्डसंयान, कृषि विषणन कृषि विदेश व्यापार संबंधी संलग्न विज्ञापन संख्या : ई-6067/2025, दिनांक : अगस्त 26, 2025 का एवं निर्मात प्रकृषि भारत। अवलोकन करने का कष्ट करें।

तत्क्रम में कृपया उपर्युक्त विज्ञापन को विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित कराने का कष्ट

संलग्नक : यथोपरि 748/VS(RK)AG/2025 1304 128/SAg/2028 (डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे) 'अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ०प्र०। 27/08/2025 (रतन कुमार श्रीवास्तव) कृष्य, कृष्य प्रथमान द्या प्रथम आगर तथा कृष्य शिक्षा एवं अनुरांधान विभाग कृषि, कृषि दिपणन, जिंदेश व्यापार एवं नियति प्रोतसर्ग जिला ्रतार प्रदेश शासन।

Scanned with OKEN Scanner

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ.प्र.) के कुलपति पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में सूचना

विज्ञापन संख्या : ई-6067/2025

दिनांक : अगस्त 26, 2025

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०), जो कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत स्थापित है, के कुलपित की नियुक्ति, उपर्युक्त अधिनियम की धारा—11(1) के अधीन गठित समिति के द्वारा अनुसंशित पैनल में से कुलाधिपित द्वारा की जानी प्रस्तावित है।

कुलपति का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अपनी आयु 68 वर्ष पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा। कुलपति के पद हेतु केवल वही व्यक्ति पात्र होगा जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो।

चूंकि कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होता है, इसिलये अभ्यर्थी में उच्च कोटि की क्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता एवं संस्थागत वचनबद्धता होनी चाहिए। अभ्यर्थी को कृषि शिक्षा के क्षेत्र में प्रख्यात शिक्षाविद होने के साथ—साथ ठोस प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए।

कुलपति पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी राज भवन की वेबसाइट "www.upgovernor.gov.in" पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन दिनांक 29.09.2025 (सोमवार) तक केवल ऑनलाइन (Online) प्रेषित कर सकते है।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

NOTICE INVITING APPLICATIONS FOR APPOINTMENT OF TOTAL CHANCELLOR FOR ACHARYA NARENDRA DEVA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY, AYODHYA (U.P.)

Advt. No. E-6067/2025

Dated: August 26, 2025

It is proposed to appoint the Vice-Chancellor for Acharya Narendra Deva University of Agriculture and Technology, Ayodhya (U.P.), established under the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1958 by the Chancellor, out of a panel to be recommended by a Committee appointed in terms of Section- 11(1) of the said Act.

The Vice-Chancellor shall hold office for a term of 03 years from the date on which he/she enters upon his/her office or till he/she attains the age of 68 years whichever is earlier. Only such person shall be eligible for appointment to the office of Vice Chancellor who has not attained the age of 65 years.

As the Vice Chancellor is the Principal Executive and Academic Officer of the University, he/she should have highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment. He/She is required to have sound administrative acumen besides being a distinguished person in the field of Agriculture Education.

The applicant for the post of Vice-Chancellor may send his/her application Online prescribed format available the website "www.upgovernor.gov.in" on or before 29.09.2025 (Monday).

Any application received after the prescribed date shall not be considered.

Additional Chiefbecretary to the Governor,

Uttar Pradesh.